[2018] 3 एस.सी.आर. 65

एनजीटी बार एसोसिएशन (पश्चिमी क्षेत्र)

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 1235 वर्ष 2017)

मार्च 27, 2018

[दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 - धारा 11 - अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए - अभिनिर्धारित : धारा 11 में विचार किया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के कार्यकाल ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी, जब तक कि एक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकरण के एक न्यायिक सदस्य को सूचित करें - कार्यवाहक अध्यक्ष को रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना आवश्यक है। एनजीटी के सदस्यों में से - केंद्र सरकार उसी का पालन करेगी - एक कार्यालय के आदेश से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष ने न्यायिक सदस्यों और अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों के बीच वरिष्ठता अंतर को तैयार किया था - न्यायिक हित में पूरा किया जाएगा, यदि कार्यवाहक अध्यक्ष अंतर्गत धारा 11 की अधिसूचना कार्यालय आदेश में इंगित वरिष्ठता के संदर्भ में बनाया गया है - न्यायमूर्ति जवाद रहीम सभी उद्देश्यों के लिए अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जब तक कि एक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती को एक नया अध्यक्ष बनाया जाता है - यह एक अंतरिम व्यवस्था की प्रकृति में होगा।

सिविल मूल न्यायाधिकरणः रिट याचिका (सिविल) संख्या 1235 वर्ष 2017।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, निनद लौड, कुश चतुर्वेदी, अमन वर्मा, अंजुमन त्रिपाठी, इवो डी" कोस्टा, सुश्री प्रियश्री पीएच, अदितया स्वेन, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सीमा बेनगनी, रितेश कुमार, गुरमीत सिंह मक्कर, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

<u>आदेश</u>

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के लिए अधिकरण के एक सदस्य को सूचित करना

आवश्यक हो गया है जो एक नई नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 11 में विचार किया गया है कि केंद्र सरकार इस तरह की स्थिति में एक न्यायिक सदस्य को नियमित नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सूचित करेगी। धारा 11 इस प्रकार है:

> "11. कतिपय परिस्थितियों में अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना -
>
> अधिकरण के अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, पद त्याग के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, अधिकरण को ऐसा न्यायिक सदस्य, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।"

2. भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अधिकरण के दो सबसे वरिष्ठ न्यायिक सदस्यों : न्यायमूर्ति जवाद रहीम और न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौर के संबंध में प्रासंगिक विवरण स्थापित करने वाले एक तुलनात्मक चार्ट को रिकॉर्ड पर रखा है। चार्ट से, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि न्यायमूर्ति जवाद रहीम और न्यायमूर्ति आरएस राठौर को 12 जनवरी 2016 को एनजीटी में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति राठौड़ के बाद न्यायमूर्ति जावेद रहीम एनजीटी में शामिल हुए उन्हें अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि न्यायमूर्ति जावेद रहीम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आरएस राठौर की नियुक्ति में वरिष्ठ हैं।

3. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार इस न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था का पालन करेगी, ताकि नियमित नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की सुविधा हो सके। एनजीटी के सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष को सक्षम करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना भी आवश्यक है।

4. 15 मार्च 2016 के एक कार्यालय आदेश द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष ने न्यायिक सदस्यों और अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों के बीच वरिष्ठता अंतर को तैयार किया था। हमारे विचार में, यह न्याय के सिरों को पूरा करेगा यदि धारा 11 के तहत कार्यवाहक अध्यक्ष की अधिसूचना 15 मार्च 2016 के कार्यालय आदेश में इंगित वरिष्ठता के संदर्भ में बनाई गई है।

5. न्यायमूर्ति जवाद रहीम सभी उद्देश्यों के लिए अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जिसमें सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है, जब तक कि एक नए अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती।

6. यह विशुद्ध रूप से एक अंतरिम व्यवस्था की प्रकृति में होगा और इस न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति जवाद रहीम और न्यायमूर्ति आरएस राठौर के बीच वरिष्ठता अंतर का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाएगा।

निधि जैन

निर्देश जारी किए गए।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय